राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर अरनोद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

प्रकरण सं. 04/19 दायरा तारीख– 09.01.2019

पीठासीन अधिकारी– प्रकाश चन्द्र रेगर (RAS) उपखण्ड अधिकारी, अरनोद

1. श्री लालु पिता काना जाति मीणा निवासी पारखन्दा

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री वागजी पिता नानजी मीणा निवासी पारखन्दा
2. श्री दीतिया पिता नानजी जाति मीणा निवासी पारखन्दा
3. श्री हिरालाल पिता कालु जाति मीणा निवासी पारखन्दा
4. श्री मोतिया भागीरथ जाति मीणा निवासी पारखन्दा
5. श्री दोलतराम पिता बगदीराम जाति मीणा निवासी पारखन्दा
6. श्री शंकर पिता उंकार जाति मीणा निवासी पारखन्दा
7. श्री लाली बेवा उंकार जाति मीणा निवासी पारखन्दा
8. तहसीलदार, अरनोद

(अप्रार्थी)

उपस्थिति–

1.श्री पप्पु शर्मा– अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

–:निर्णय:– दिनांक 16.2.21

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा दलोट में प्रार्थी के पिता एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त आराजी खाता सं. 661 दर्ज रिकॉर्ड कुल किता 08 कुल आराजी 3.65है. है। उक्त आराजीयात में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा निहित है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 का 1/4, 4 व 5 का 1/4 तथा 6 व 7 का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। उक्तानुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर कब्जे काश्त है।

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद,

प्रार्थी के पिता काना की मृत्यु उपरान्त अप्रार्थी सं. 1 लगायत 7 के पिता नानजी, उंकार के नाम विरासत से दर्ज रिकॉर्ड हो गये जबकि प्रार्थी काना का पुत्र होते हुए भी रिकॉर्ड में दर्ज होने से वंचित रह गया। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से अपने हिस्से की जमीन करवाने की बात की तो अप्रार्थीगण लडाई झगडा करने पर आमादा हुए और वादग्रस्त आराजी को बेचान करने की धमकी दी।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावे कि वे किसी प्रकार की मदाखलत व मजामहत न तो स्वयं करे न अन्य किसी से करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर अप्रार्थीगण को जरिये समन तामिल किया गया। बाद तलबी अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अपनी बहस में विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दाहराते हुए कथन किया कि विरासत से नामान्तरण के समय सहवन से प्रार्थी का नाम रह गया। अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी को बेचान करना चाहते है अतः मूलवाद में निस्तारण कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र, संलग्न दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर अध्ययन किया तथा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर गौर किया।

प्रार्थना पत्र के अनुतोष में स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है जबकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के तहत पेश किया गया। जमाबंदी संवत् 2066 में खातेदार वागजी, दितीया पिता नानजी जो कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 है। हिरालाल पिता कालु अप्रार्थी सं. 3, धापूबाई बेवा कालु, बगदीराम, उंकारलाल पिता काना को पक्षकार नही बनाया गया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं. 4 लगायत 7 का जमाबंदी में कही उल्लेख नही है। प्रार्थी ने ऐसा काई दस्तावेज भी पेश नही किया जिससे वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी प्रमाणित हो।

उक्त विवेचन से जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अभिवेचन अपूर्ण, अविश्वसनीय व असमुचित होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
आसींद
पीठासीन अधिकारी